न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **01/859/2015**

1 छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति माली
2 धोल्या पुत्र रामसहाय जाति माली निवासीयान कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर

............वादी

बनाम्

1 वीरू पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ ....प्रतिवादी

दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : 1. श्री भगवती प्रसाद मीना एड0–वादी

निर्णय **दिनांक 17.03.2021**

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा दावा तकसीम आराजी का पेश कर निवेदन किया कि वादी की हाल आराजी खसरा नम्बर 334/0.36, 340/0.09 वाके गोविन्दपुरा तहसील राजगढ में अवस्थित है जो आराजी पक्षकारान की सह खातेदारी की आराजी है तथा जिस पर पक्षकारान काबिज है। अब पक्षकारान में अपने–अपने हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त को लेकर तनाजा रहता है, आये दिन कब्जे काश्त को लेकर विवाद होता है। इसलिये आराजी विवादित को मुताबिक हिस्सा हाल रिकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन किया जाकर खाता पृथक–पृथक किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का भी निवेदन किया गया। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 बाद सूचना तामिल उपस्थित न्यायालय नही होने की स्थिति में उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार राजगढ की ओर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 एवं हस्ब सहमति वकुलाय के द्वारा निवेदन किया गया कि जो कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ की ओर से पेश की गई है उसी के अनुसार दावा वादी डिक्री कर दिया जावें।

3. बहस विद्वान वकील वादी की एकतरफा मे सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को उल्लेखित करते हुये निवेदन किया कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2062–72 खाता संख्या 37 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य वादीगण साबित है कि आराजी विवादित वादीगण व प्रतिवादीगण बहिस्से बराबर–बराबर के खातेदार है तथा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है। तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.11.2020 के बाबत इस हद तक सहमत है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान की। हस्ब सहमति वकुलाय दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व सहमति वकुलाय के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है– अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 334/0.36 है0, 340/0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 वाके गोविन्दपुरा तहसील राजगढ मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व हस्ब सहमति वकुलाय के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी विवादित का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र0स0	खातेदार का नाम	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा है0	भूमि किस्म
1	छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ	गोविन्दपुरा	340 334 334/6	0.03 0.05 0.06	चाही–1
			किता 3	0.14 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

2	वीरू पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार (मृतक वारिसान मुकेश रामकिशन पि0 वीरू धनबाई गुड्डी सुशीला पुत्री वीरू किस्तुरी पत्नि स्व0 वीरू)	गोविन्दपुरा	340/1 334/1 334/4	0.03 0.05 0.06	चाही–1
			किता 3	0.14 है0	
3	धौल्या पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ	गोविन्दपुरा	340/2 334/2 334/5	0.03 0.05 0.06	चाही–1
			किता 3	0.14 है0	
4	छोटेलाल, वीरू, धौल्या पि0 रामसहाय स0भा0 जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ वीरू मृतक वारिसान मुकेश रामकिशन पि0 वीरू धनबाई गुड्डी सुशीला पुत्री वीरू	गोविन्दपुरा	334/3	0.03	गैर मुमकिन रास्ता
			किता 1	0.03 है0	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को पृथक–पृथक अपने नाम खातेदार में दर्ज कराने के अधिकारी है। पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्तानुसार अपने हिस्से के अलावा एक–दूसरे की खातेदारी मे उपयोग व उपभोग मे रूकावट मजाहमत नही करेगें। नक्शा कुर्रेजात का हिस्सा रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.03..2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
01/859/2015	दावा बाबत तकसीम आराजी	12.10.2015	17.03.2021

1 छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति माली
2 धोल्या पुत्र रामसहाय जाति माली निवासीयान कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर

............वादी

बनाम्

1 वीरू पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ ....प्रतिवादी

दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : 1. श्री भगवती प्रसाद मीना एड0–वादी

पर्चा डिक्री दिनांक 17.03.2021

दावा वादी तकसीम आराजी हाल आराजी खसरा नम्बर 334/0.36 है0, 340/0.09 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 वाके गोविन्दपुरा तहसील राजगढ मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट व हस्ब सहमति वकुलाय के अनुसार डिक्री किया जाता है। पक्षकारान में आराजी विवादित का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र0स0	खातेदार का नाम	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा है0	भूमि किस्म
1	छोटेलाल पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ	गोविन्दपुरा	340	0.03	चाही–1
			334	0.05	
			334/[illegible]	0.06	
			किता 3	0.14 है0	
2	वीरू पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार		340/1	0.03	
			334/1	0.05	चाही–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested

	(मृतक वारिसान मुकेश रामकिशन पि0 वीरू धनबाई गुड्डी सुशीला पुत्री वीरू किस्तुरी पत्नि स्व0 वीरू)	गोविन्दपुरा	334/4	0.06	
			किता 3	0.14 है0	
3	धौल्या पुत्र रामसहाय जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ	गोविन्दपुरा	340/2 334/2 334/5	0.03 0.05 0.06	चाही–1
			किता 3	0.14 है0	
4	छोटेलाल, वीरू, धौल्या पि0 रामसहाय स0भा0 जाति माली सा0 देह खातेदार कारोठ वीरू मृतक वारिसान मुकेश रामकिशन पि0 वीरू धनबाई गुड्डी सुशीला पुत्री वीरू	गोविन्दपुरा	334/3	0.03	गैर मुमकिन रास्ता
			किता 1	0.03 है0	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को पृथक–पृथक अपने नाम खातेदार में दर्ज कराने के अधिकारी है। पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्तानुसार अपने हिस्से के अलावा एक–दूसरे की खातेदारी मे उपयोग व उपभोग मे रूकावट मजाहमत नही करेगें। नक्शा कुर्रेजात का हिस्सा रहेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.03.2021 को तैयार की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2021.08.18 10:59:28 IST
Reason: SelfAttested